

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

सीवाराभ

गौरा आदि

दावा बाबत :- 88 RTACT

मुकदमा नम्बर :-

निर्णय दिनांक :- 15-11-2021

वादी की ओर से वकील मुन्ना राम जोरखारी की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील सतवीर बानीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-11-2021 को मुझ शकुंतला चौधरी सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेही मौजा जिजासरी वड़ी के खसरा सं- 375 की 4.5530 हे, खसरा सं- 76 की 2.6810 हे, खसरा सं- 99 की 0.4050 हे कुल 7.6390 हे गोरानी खातेदारों में प्रतिवादी सं- 1 गौरा व प्रतिवादी सं- 2 जैता प्रत्येक का $\frac{1}{8}$ हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी सं- 1 व 2 का नाम कुलभजन किषा जाकर वादी सीवाराभ को खातेदार का प्रकार घोषित किया जाता है। मुन्ना प्रतिवादी सं- 1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी सीवाराभ के पक्ष में त्याग कर मुन्ना कर लिया है। इसलिए त्याग किषे गत हिस्से पर पंजायत विभाग का देय पंजायत कुलक एवं स्टाम्प उभूत अदा कराने व यदि कृषि भूमि आदि वक के खत हो ता खतभूत होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण दरायत किया जावे। राजीनामा का गिनी का भाग पटा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुंतला चौधरी (RAS)
(शिविर प्रभारी) ट्रैक
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हुनुमान रोड गारा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प
15/11/21